"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल 2013—चैत्र 27, शक 1935

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-11-353/गृह/2007.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 16 की उप-धारा (2) के प्रावधान अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शशिकांत कोन्हेर, वरिष्ठ पत्रकार, बिलासपुर एवं श्री बसंत राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनांदगांव को राज्य पुलिस आयोग में नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष की कालावधि के लिए सदस्य नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ-11-353/गृह/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 17-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th April 2013

NOTIFICATION

No. F-11-353/Home/2007.—In accordance with the provisions contained in sub-section (2) of Section 16 of Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government, hereby appoints :—

(1) Shri Sashikant Konher, Senior Journlist, Bilaspur, Chhattisgarh and

(2) Shri Basant Roy, Senior Advocate, Rajnandgaon, Chhattisgarh,

Member of the State Police Commission for a period of two years from the date of appointment.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.